सार-समाचार

गर्भवतियों की जांच की

रामगंजमण्डी, (निसं)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान में बुधवार को जिले के 82 चिकित्सा संस्थानों पर गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांचा और परामर्श दिया। सीएमएचओ डॉ नरेन्द्र नागर ने बताया कि अभियान में 1592 गर्भवती महिलाओं का बीपी, 1576 का तापमान नोट किया और 1570 के ब्लड की जांच की। 1387 गर्भवतियों को आईएफए की टेबलेट और 60 को आईवी आयरन सुक्रोज दिया। गर्भवतियों की ब्लड, यूरीन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, वजन, उंचाई भी जांची गई। इस दौरान 125 गर्भवतियों में जजिटला हाई रिस्क पाई गई। कुछ केंद्रों पर 42 गर्भवतियों की सोनाग्राफी जांच भी की गई। कई केंद्रों पर फ्री सोनाग्राफी जांच के लिए मां वाउचर योजना के कूपन दिए गए। आरसीएचओ डॉ रमेश कारगवाल ने मोरूकलां दरा एवं सातलखेड़ी पीएचसी पर अभियान का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सातलखेड़ी में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का भी अवलोकन किया। डॉ कारगवाल ने बताया कि अभियान में गर्भवतियों को प्रसव की तैयारी एवं परिवार नियोजन की जानकारी भी दी गई। शिशुओं के स्तनपान, पोषण व टीकाकरण की जानकारी व पोष्टिक आयरयुक्त आहार, मिलेट्स लेने की सलाह भी गर्भवतियों को दी गई, साथ ही टीकाकरण भी किया। विभाग के अन्य जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भी अभियान की मॉनिटरिंग की। गर्भवतियों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए अभियान हर माह 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित किया जाता है।

भवानीमंडी में मनाया जायेगा गुरु पूर्णिमा उत्सव

भवानीमंडी, (निसं) आचार्य विद्या सागर महाराज व नवाचार्य समय सागर महाराज के शिष्य मुनि निष्पक्ष सागर महाराज व निस्पृह सागर महाराज के सानिध्य में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जायेगा। प्रात: 7 बजे से आचार्य छत्तीसी मंडल विधान पूजन का आयोजन 54 मंडलों पर मेडतवाल परिसर मे रखा गया है। बुधवार को अपने प्रवचन में निष्पक्ष सागर महाराज ने कहाँ कि शिष्य जो स्वयं मार्ग पर चलते वही मार्ग बता सकते है आचार्य खुद से ऊँचा शिष्य को पहुँचाना चाहते है गुरु महावीर स्वामी की छवि गुरु विद्या सागर में नजर आती है महावीर स्वामी भी ऐसे होते होंगे, शिव पद पर मोक्ष मार्ग पर चलने चलाने वाले आचार्य होते है भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है पंचम काल तक गुरुवो के आशीर्वाद से यह मार्ग सुरक्षित रहेगा।

एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

कोटा, (निसं)। कोटा विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें उद्घाटन सत्र एवं दो तकनीकी सत्रों सहित तीन सत्रो, का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कुलगुरु प्रो. बी.पी.सारस्वत ने विश्वविद्यालय में इस प्रकार के आयोजनो की सराहना करते हुए अपने उद्बोधन में बताया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षको, कार्मिकों, एवं अधिकारियों को सकारात्मक सोच के साथ अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को सदैव ऊँचा रखना चाहिए। हमें सदैव राष्ट्र प्रथम की अवधारणा का अनुसरण करते हुए अपने कार्य स्थल पर सकारात्मक माहौल बनाने के प्रयास करने चाहिए जिससे कि नकारात्मक भाव हमारे आस-पास भी न फटके।

तीन चरणों में बीएलओ प्रशिक्षण जारी

छबड़ा (निसं)। बीएलओ के कार्य संवर्धन, विविध कार्य सम्पादन एवं पारदर्शिता के साथ मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए तीन चरणो में प्रशिक्षण जारी हैं। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी रामसिंह गुर्जर ने बताया कि छीपाबड़ौद उपखंड क्षेत्र के बीएलओ को उपखंड अधिकारी कार्यालय छीपाबडौद एवं छबड़ा उपखंड क्षेत्र के बीएलओ को उपखंड अधिकारी कार्यालय छबड़ा में प्रषिक्षण आयोजित किया जा रहा है। कुल 261 बीएलओ के लिए यह प्रशिक्षण व्यवस्था कुल छह बैचों में की जा रही है, जिसमें प्रत्येक बैंचो में अधिकतम 50 बीएलओ को आठ व नौ जुलाई को प्रशिक्षित किया गया। वही, 14 जुलाई को भी प्रषिक्षण आयोजित होगा। प्रशिक्षण में बीएलओ को फार्म 6,7,8 की व्यापक जानकारी प्रदान की गई।

बंधा धर्मपुरा गौशाला का निरीक्षण कर जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए

- निरीक्षण टीम गठित, आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु चेकपॉइंट लगाने पर जोर
- 26 गौशालाओं के निरीक्षण के लिए टीमें गठित, पशु कल्याण व अनुदान व्यय की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

कोटा, (निसं)। कलेक्टर पीयूष समारिया ने बुधवार को बंधा धर्मपुरा स्थित गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला में मौजूद पशुओं की संख्या, स्वास्थ्य, रखरखाव, चारे की गुणवत्ता, टीकाकरण, इलाज तथा अन्य व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। कलक्टर ने पशुधन कल्याण को सर्वोपरि बताते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय चरण (नवम्बर-दिसम्बर 2024 एवं जनवरी-फरवरी-मार्च 2025) की अधिकतम 150 दिवस की सहायता राशि हेतु जिले में संचालित पंजीकृत गौशालाओं कांजीहाऊस में संधारित गौवंश की गणना और उनके निरीक्षण के लिए लगभग 26 गौशालाओं में निरीक्षण हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। यह टीमें गौवंश की वास्तविक संख्या, व्यवस्थाओं की गुणवत्ता और अनुदान के समुचित उपयोग की समीक्षा करेंगी। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि गौशाला को हाल ही में 75 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। कलेक्टर ने जिले में जितनी भी गौशालाएं सरकारी अनुदान से संचालित हैं, उनकी गुणवत्ता व व्यय की नियमित समीक्षा हेतु निरीक्षण टीम गठित कर दी है जो नियमित गौशालाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

उन्होंने कहा अनुदान का उपयोग पारदर्शी तरीके से पशुओं की भलाई और बुनियादी सुविधाओं के विकास में ही हो यह सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक व्यय का स्पष्ट लेखा-जोखा रखा जाऐं। कलक्टर समारिया ने निर्देश दिए कि शहर में आवारा पशुओं को हटाने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए और चेकपॉइंट ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएं जहां सकारात्मक परिणाम देखने को मिले।

निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि गौशाला में लगभग 1900 पशु रखे गए हैं, जिन्हें बछड़ों, दुधारू गायों, बीमार पशुओं आदि के आधार पर अलग-अलग बाड़ों में रखा गया है। कलक्टर ने उनके स्वास्थ्य, साफ-सफाई और देखभाल की समीक्षा की और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलक्टर समारिया ने चारे की गुणवत्ता और पोषण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि चारा पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

उन्होंने छायादार व्यवस्था, पंखे और जल स्रोतों की स्थिति देखी और गर्मी से बचाव की सुनिश्चित व्यवस्था के निर्देश दिऐं। कलक्टर ने बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखने, दवाइयों की उपलब्धता, पशु चिकित्सक व कंपाउंडर की उपस्थिति, टीकाकरण की अद्यतन स्थिति तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने गौशाला में उत्पादित दूध, घी आदि की बिक्री प्रक्रिया, पारदर्शिता और उससे होने वाली आय की उपयोगिता की जानकारी ली। कलेक्टर समारिया ने गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों से संवाद कर उनकी कार्य स्थिति, मानदेय और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त पात्र कार्मिकों को ईएसआई कार्ड उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहें।

गौशाला में संचालित पशु एंबुलेंस और कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। घायल या बीमार पशुओं को शीघ्र उपचार मिलने के निर्देश दिए गए। साथ ही, जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करने को कहा गया। कलेक्टर समारिया ने अंत में निर्देश दिए कि गौशालाओं का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए, और पशु कल्याण से संबंधित विभागीय बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि गौशाला मानवीय संवेदना और पशु प्रेम का प्रतीक है, इसकी हर व्यवस्था संवेदनशीलता और निष्ठा से संचालित हो। निरीक्षण के दौरान नगर निगम से उपायुक्त महेश गोयल, रिचा गौतम, अधिशासी अभियंता कुरैशी, गौशाला प्रभारी नवीन आनंद तथा समस्त स्टॉफ उपस्थित रहे।

कोटा दक्षिण महापौर निवास के बाहर कांग्रेस पार्षदों ने धरना दिया

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा दक्षिण के कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने पार्षद दीपक वर्मा के आयोजन में महापौर राजीव अग्रवाल के आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है।

प्रदर्शन से पूर्व सभी पार्षद केथूनीपोल थाना पर एकत्र हुए जहाँ से नारेबाजी करते हुए महापौर के वार्ड 46 में जनसंपर्क किया गया। क्षेत्रवासियों और राहगीरों को 'क्या आप संतुष्ट हैं' शीर्षक से जन-जागरूकता पर्चे बांटे गए।

पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर भाजपा के दबाव में आकर कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों के विकास कार्यों को रोककर राजनीति कर रहे हैं। जब महापौर का चुनाव हुआ था तब वे कांग्रेस समर्थित थे और सभी कांग्रेस पार्षदों ने एकजुट होकर उन्हें समर्थन दिया था लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने विचारधारा भी बदल ली और अब वे कांग्रेस पार्षदों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। सभी पार्षद दोपहर तक महापौर के घर के बाहर बैठे रहे परंतु ना तो महापौर सामने आए और ना ही किसी प्रतिनिधि ने बात करने की पहल की।

पार्षद सायना घोसी ने कहा कि महापौर द्वारा जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करना तानाशाही का संकेत है और लोकतंत्र का अपमान है। पार्षद दीपक वर्मा ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। जब तक कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में भी बराबरी से विकास नहीं होगा तब तक विरोध जारी रहेगा।

पार्षद सोनू भील ने कहा कि आज का विरोध प्रदर्शन नगर निगम की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जनता की आवाज है। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता।

उपमहापौर पवन मीणा ने कहा कि महापौर को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह इसी सदन से कांग्रेस के समर्थन से महापौर बने थे। आज कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में एक-एक करोड़ के टेंडर लग चुके हैं लेकिन उनके वर्क ऑर्डर रोके जा रहे हैं। यह न सिर्फ जनप्रतिनिधियों का अपमान है बल्कि क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। जब तक समान विकास नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्रदर्शन में पार्षद इसरार मोहम्मद, देवेश तिवारी, शालिनी गौतम, शमा मिर्ज़ा, कुलदीप गौतम, धनराज चेची, अनुराग गौतम, अंशु श्रंगी, मनोज गुप्ता, कुलदीप प्रजापति, सोनू अब्बासी, लेखराज योगी, प्रफुल्ल पाठक, तब्बसुम मिर्जा, कपिल शर्मा, सुमन पेसवानी, पिंकी प्रजापति, मोनिका विजय कांग्रेस कार्यकर्ता ध्यानलाल मेघवाल, प्रमोद त्रिपाठी, इरफान, चेतन यादव, अशोक गुर्जर उपस्थित रहे।

तिरपाल, टिफिन, छतरी वितरित

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त कार्यालय में भेड़ निष्क्रमण के परिवार वालों को भामाशाहों के सहयोग से आदर्श पशुधन कल्याण एवं पर्यावरण विकास संस्था राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष होतीराम देवासी द्वारा संभागीय आयुक्त राजेन्द्र सिंह शेखावत, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी व पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड कोटा आर.ओ योग्यता कंवर एवं पशुपालन विभाग की उपस्थिति में भेड़पालकों व पशुपालकों को तिरपाल, टिफिन एवं छतरी का वितरण किया गया।

नाम परिवर्तन

मैं शिव भगवान शर्मा S/o राम निवास निवासी C-1, C-20 कुन्हाड़ी आवासीय योजना गिरधरपुरा थर्मल कालोनी कोटा मेरा अन्य दस्तावेज में नाम शिव भगवान अंकित है परन्तु वर्तमान में सभी दस्तावेजों में वास्तविक नाम शिव भगवान शर्मा अंकित है जो सत्य है। भविष्य में इसी से जाना जावे।

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3230 दिनांक:-8.7.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 के अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री रजनी पत्नी श्री मुकेश जाति वैष्णव निवासी ग्राम राजपुरा तह. छबड़ा जिला (बारां)	162	गणेश नगर कालोनी छबड़ा	08	20x40=800 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4784 दिनांक: 9.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मंजु नागर पत्नी स्व. श्री संजीव कुमार नागर, श्री मयंक नागर पुत्र स्व. श्री संजीव कुमार नागर, श्री रजनीश नागर पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद नागर निवासी-850 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-850 शास्त्री नगर दादाबाड़ी क्षेत्रफल-1800 वर्गफुट का कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक : एफ()/विक्रय 75-76/271/2945 दिनांक 25.03.1975 से श्री जगदीश प्रसाद नागर पुत्र श्री नाथुलाल धाकड को विक्रय किया गया है। श्री जगदीश प्रसाद नागर पुत्र श्री नाथुलाल धाकड की मृत्यु दिनांक 08.03.2005 को हो चुकी है। एवं श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री गोकुल चन्द ने उक्त भूखंड में अपने 50 प्रतिशत हिस्से की वसीयत अपनी पुत्रवधु श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद की मृत्यु दिनांक 11.03.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती चित्रा नागर एवं भारती नागर पिसरान स्व. श्री जगदीश प्रसाद नागर ने पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 31.01.2025 से श्री संजीव कुमार नागर एवं श्री रजनीश नागर के पक्ष में अपना हक त्याग दिया है। श्री संजीव कुमार नागर की मृत्यु दिनांक 15.11.2024 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान शैफाली नागर पुत्री स्व. श्री संजीव कुमार नागर ने पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 31.01.2025 अपना हक श्रीमती मंजु नागर पत्नी स्व. श्री संजीव कुमार नागर, श्री मयंक नागर पुत्र स्व. श्री संजीव कुमार नागर के पक्ष में अपना हक त्याग दिया है। श्रीमती मंजु नागर पत्नी स्व. श्री संजीव कुमार नागर, श्री मयंक नागर पुत्र स्व. श्री संजीव कुमार नागर, श्री रजनीश नागर पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद नागर के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4782 दिनांक: 9.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दीपक माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री मोहन लाल चांडक निवासी-32 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या-32 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-32 शास्त्री नगर दादाबाड़ी क्षेत्रफल-1800 वर्गफुट का कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल योजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक : एफ1(3) क.म./विकास/60/569 दिनांक 09.02.1961 से श्री किशनचन्द पुत्र श्री दयालदास के नाम आवंटन किया गया है। श्री किशनचन्द पुत्र श्री दयालदास ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.09.1972 से श्री ठाकुर दास पुत्र श्री देवन दास को विक्रय किया है। श्री ठाकुर दास पुत्र श्री देवन दास ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.10.1972 से श्री बाबु सिंह पुत्र श्री बल्ली राम को विक्रय किया है। श्री बाबु सिंह पुत्र श्री बल्ली राम ने पंजीकृत बख्शीश पत्र दिनांक 27.03.1973 से श्रीमती कैलाश रानी पत्नी श्री बाबु सिंह को उक्त भूखंड बख्शीश में दे दिया है। श्रीमती कैलाश रानी पत्नी श्री बाबु सिंह ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1981 से श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल पुत्र श्री राधाकिशन अग्रवाल को विक्रय किया गया है। श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल पुत्र श्री राधाकिशन अग्रवाल ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.06.1998 को श्री मोहन लाल चांडक पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी को विक्रय किया है। कार्यालय नगर निगम कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक ननिको/तामीर/मुख्या./2016/14569 दिनांक 19.01.2016 से श्री मोहन लाल चांडक पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी के नाम भूखंड संख्या 32 शास्त्री नगर दादाबाड़ी का नाम हस्तांतरण किया गया है। श्री मोहन लाल चांडक पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी की मृत्यु दिनांक 28.10.2024 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती नीता काबरा पत्नी श्री हेमन्त काबरा एवं श्री मनोज माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री मोहन लाल चांडक ने पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 09.12.2024 से अपना हक श्री दीपक माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री मोहन लाल चांडक के पक्ष में त्याग दिया है। श्री दीपक माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री मोहन लाल चांडक के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण